न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–372/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/372)

1. मोहन पुत्र श्री रामा
2. गोपी पुत्र श्री रामा
   जाति रैगर, निवासी ग्राम बिसुन्दगी तहसील सावर जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रवण पुत्र रूपा
2. कमला पुत्री रूपा
3. लाडा पुत्री रूपा
   जाति रैगर, निवासी ग्राम बिसुन्दनी तहसील सावर जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

5. छोटी पत्नी भैरू
6. पप्पू पुत्र भैरू
   जाति रैगर, निवासी ग्राम बिसुन्दनी तहसील सावर जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 19.03.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 108/2019

उपस्थितः–

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री दिनेश कुमार, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 04
4. रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–23.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 108/2019 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस एवं तरतीबी रेसपोडेंटस ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 209, एवं 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादगण/रेस्पोडेंटस उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

किया। जिस पर दिनांक 15.10.2019 को अपीलांटस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर ग्राम सूरजपूरा पटवार हल्का बिसुन्दरी तहसील सावर के खाता संख्या नए पुराने 135/44 के खसरा नम्बर 938 रकबा 0.36 हैक्टर, 939 रकबा 0.45 है0 किस्म बारानी-1 के बाबत रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने एवं आराजी का रहन, बेचान नहीं करने का स्थगन आदेश प्रदान किया एवं तत्पश्चात रेस्पोडेंटस के नाम नोटिस जारी किए गए। जिस पर रेस्पोडेंटस की ओर से श्री हेमराज कानावत अभिभाषक ने जवाब एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांटस के कथनों को इंकार किया। जिस पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने अपीलांटस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी की ओर से प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र को खारिज करने का आदेश दिनांक 19.3.2020 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 108/2019 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि प्रार्थीगण को उसके वकील साहब द्वारा कह रखा था कि प्रत्येक पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जब भी आवश्यकता होगी सूचित कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में दिनांक 14.11.2022 को प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय जाकर वकील साहब से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दिया है जिसके विरूद्ध न्यायालय में कानूनी कार्यवाही की जानकारी दी जिस पर प्रार्थीगण ने उसी दिन नकल हेतु आवेदन कराया एवं उसी दिन नकल प्राप्त कर फीस आदि का प्रबंध कर दिनांक 20.11.2022 को अजमेर आकर अभिभाषक नियुक्त कर यह अपील जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5-** *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि विवादित आराजी मुतनाजा अपीलांट्स के पिता को नियमानुसार आवंटन की गई थी एवं उपरोक्त आवंटन के आधार पर अपीलांट्स के पिता एवं अपीलांट्स विवादित आराजी मुतनाजा पर काबिज होकर काश्त करते हुए चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में बखूबी साबित हो रहे थे। विवादित आराजी मुतनाजा अपीलांट्स के पिता को आवंटन होने के पश्चात दिनांक 23.6.1967 को अपीलांट्स के पिता को दखल देकर विवादित आराजी मुतनाजा पर कब्जा प्रदान कर दिया गया था तब से ही काबिज होकर काश्त करते हुए चले आ रहे है। विपक्षीगण ने अपीलांट्स के पिता के नाम आंवटन आदेश को आज दिनांक तक चुनौति नहीं दी है एवं ना ही अपीलांट्स के पिता के नाम के आवंटन आदेश को किसी भी न्यायालय से निरस्त करवाया है। ऐसी स्थिति में बिना आवंटन आदेश को निरस्त कराए विवादित आराजी मुतनाजा को गलत रूप से रेस्पोडेंटस के नाम दर्ज कर दिया था जिसे दुरूस्त करवाने हेतु वाद एवं प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष प्रस्तुत किया था। ऐसी स्थिति में वाद के विचाराधीन रहते सूट लैण्ड को प्रोटेक्ट किया जाना न्यायालय की भी ड्यूटी है। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में तीनों इंग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदुओं का विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य था। इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने एक ही लाईन में प्रस्तुत प्रकरण में दोनों पक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनों सारगर्भित बिंदु अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाए हैं का कथन अंकित कर अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने में

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

वैधानिक त्रुटि कारित की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 108/2019 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2020 को निरस्त किया जाकर ताफैसला मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने एवं रहन, बय, मुंतकिल नहीं करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि वाद वर्णित आराजीयात अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता एवं दादा मृतक रूपा को आवंटन होना स्वीकार है तथा शेष कथन मनगढंत एवं बेबुनियाद काल्पनिक तथ्यों पर आधारित होने से अप्रार्थीगण को ठोस रूप से अस्वीकार है। वाद वर्णित आराजीयात अप्रार्थीगण के पिता एवं दादाजी की स्वअर्जित संपत्ति है। प्रार्थीगण के पिता रामा पुत्र डालू को वाद वर्णित आराजी कभी भी आवंटन नहीं हुई है। प्रार्थीगण के पिता को वाद वर्णित आराजी आवंटन नहीं हुई है बल्कि प्रार्थीगण के पिता रूपा पुत्र डालू को आवंटन हुई है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से कई वर्षो से अलग ही निवास करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थीगण अपना कब्जा एवं सजरा स्वयं साबित करावे। प्रार्थीगण के मृतक डालू का सजरा अंकित नहीं करके केवल अपने स्वयं के परिवार का सजरा अंकित किया है। वाद वर्णित आराजीयात पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात से कोई विधिक संबंध हक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण स्वयं ने पूर्व वाद संख्या 64/19 मोहन बनाम श्रवण में मृतक रूपा को आवंटन होना स्वीकार किया गया है। प्रार्थीगण के पिता राम को उक्त आराजी आवंटन नहीं हुई बल्कि अप्रार्थीगण के पिता रूपा को आवंटन की गई है। प्रार्थीगण उक्त वाद की आड में अप्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजीयात पर जबरन कब्जा करने एवं अप्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में बवरोध उत्पन्न करने, अवैध प्रयास करने पर आमादा हो रहे है जिससे अप्रार्थीगण ने जवाबदावे के साथ ही काउन्टर क्लेम भी पेश किया है। अप्रार्थीगण के पिता रूपा पुत्र डालू के नाम गैर खातेदारी अंकन 27.5.1992 से पहले ही अंकन हो रखा था। प्रार्थीगण स्वयं ने पूर्व वाद 64/19 में रूपा पुत्र डालू को आवंटन बताकर वाद वर्णित आराजी में 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 938 पर कब्जा होना अंकित किया एवं वर्तमान उक्त वाद में स्वयं के पिता को आवंटन बताकर संपूर्ण आराजी पर कब्जा बता रहे है जो कि प्रार्थीगण का विरोधाभाषी एवं पश्चातवर्ती कथन विधिक रूप से मान्य नहीं है। प्रार्थीगण का वाद वर्णित आराजी पर कोई विधिक कब्जा एवं संबंध, सरोकार ही नहीं है तो प्रार्थीगण को खातेदार घोषित किए जाने का कोई विधिक प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है बल्कि प्रार्थीगण उक्त प्रार्थनापत्र की आड में अप्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू हो रहे है जिसके लिए अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के विरूद्ध काउन्टर क्लेम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय संगत व विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

दृष्टांत आरआरटी 2016(2)पेज 1323, आरआरटी 2012(2)पेज 232, आरबीजे 2006 पेज 21, डीएनजे 2019 एस0सी0 पेज 337, एआईआर 1998 एस0सी0 पेज 2276, आरआरटी 2019(1) एच0सी0 पेज 47।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.03.2020 को खारिज करते हुए निर्णय में कथन किए कि ***" प्रार्थना पत्र प्रार्थी व काउण्टर क्लेम अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का निर्धारण नहीं करता है, हक अधिकार का निर्णय मूल वाद में बाद शहादत तय होगा। "***

उक्त विवादित आराजीयात वाकै ग्राम सूरजपुरा पटवार हल्का बिसुन्दनी तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। जिसके की खाता संख्या नया 135 पुराना 44 खसरा नम्बर 938 रकबा 0.36 किस्म बारानी 1, खसरा संख्या 939 रकबा 0.45 किस्म बारानी 1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.81 है0 है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में खसरा नम्बर 938 व 939 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा पत्रावली पर उपलबध जमाबंदी संवत 2042 से 2045 में उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 1159 नामांतरकरण संख्या 89 दिनांक 27.5.1992 में रूपा वल्द डालू कौम रेगर साकिन देह गैर खातेदार दर्ज होना पाया गया तथा नामांतरकरण संख्या 97 में मृतक रूपा के पश्चात उसके स्थान पर उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम स्वीकार होना पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध एक अन्य दस्तावेजा जो कि एक फोटो प्रति है जिसमें आराजीयात रामा पुत्र डालू को आवंटित होना प्रतीत होता है। उक्त आराजीयात से संबंधित वाद प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 9.5.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत राजस्व वाद संख्या 64/2019 मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 35/2019 प्रस्तुत किया था जो दिनांक 10.01.2019 को विड्रो करने के आधार पर खारिज किया गया। अपने उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजीयात के 1/2–1/2 हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादीगण का अलोटमेंट एवं खातेदारी दिनांक से निर्बाध रूप से कब्जा व आधिपत्य चला आ रहा है इस बाबत कथन किए गए व खसरा नम्बर 938 से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर खसरा संख्या 938 रकबा 0.36 का खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने हेतु अनुतोष चाहा गया परंतु प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद को विड्रो किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसके पैरा संख्या 3 में अप्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजीयात को पिता एवं दादाजी की स्वअर्जित संपत्ति होना बताया गया। चूंकि उक्त विवादित आराजीयात उभयपक्षकारन के पिता की है, प्राथीगण या अप्रार्थीगण की है। इसका निरतारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है। इस बाबत अपीलांट व रेस्पोडेंट दोनों ही अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुओं को साबित करने में विफल रहे है चूंकि उक्त वाद का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बाद साक्ष्य, मूल वाद के गुणावगुण के निस्तारण पश्चात होना है चूंकि उक्त प्रकरण में किसी भी पक्ष को पाबंद किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जाना न्यायोचित नहीं है मूल वाद के निस्तारण पश्चात ही उभयपक्षकारन के विवादित आराजीयात बाबत हक अधिकार तय होने शेष है।

***यदि धारा 212 के अन्तर्गत स्वविवेक के अधिकारों के प्रयोग में अधीनस्थ न्यायालय ने सामान्य न्याय के सिद्धातों का सही प्रयोग किया है तो अपील व निगरानी न्यायालय को उक्त आदेश में दखल नहीं करना चाहिए* (1973 आर.आर.डी. 417; बहादुरमल बनाम जौहरीलाल, 1973 आर. आर.डी. 400 हीरा बनाम नत्थू)**

अतः उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक नजीरों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न्यायालय हाजा को उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर सत्यमेव जयते

10. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 108/2019 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2020 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

23/05/2025
(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner